क़ैदियों के अधिकार

18वां फ़िक्ही सेमिनार (मदूराई) दिनांक 2-4 रबिउल अव्वल 1430 हिजरी 28 फ़रवरी- 2 मार्च 2009 ई0 को आयोजित हुआ।

वर्तमान दौर में, विदेशों में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं जितनी तेज़ी से बढ से घट रही हैं वे हर मानवप्रेमी और न्यायप्रिय व्यक्ति के लिए चिन्ता का विषय हैं। इस पृष्ठभूमि में इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इन्डिया का यह सेमिनार इस्लामी व नैतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रस्ताव पास करता हैः

1- कोई व्यक्ति अपराध कर चुका हो तब भी उसके मनुष्य होने की हैसियत बाकी रहती है, उसे उसके अपराध की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए लेकिन वह मानव आदर सम्मान के अधिकार से वंचित नहीं हो जाताा।

2- यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप हो, तो जब तक वह प्रमाणित नहीं हो जाता उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता और न उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा सकता है।

3- किसी आरोप की बुनियाद पर कैद करना वैध है बशर्ते कि किसी ठोस प्रमाण से ही आरोप की पुष्टि हो रही हो या आरोपी पर सन्देह का स्पष्ट संकेत मौजूद हो और ऐसी हालत मे क़ैद की अवधि न्यायालय की सहमति पर है लेकिन यह अवधि इतनी लम्बी न होनी चाहिए जो किसी प्रमाणित अपराध पर दी जाती है।

4-क़ैदियों के अधिकार

(अ) बिना किसी भेदभाव धर्म जाति सारे क़ैदियों को अपने अपने धर्म के अनुसार उपासना व कार्य करने की आज़ादी प्राप्त होगी और उसकी धार्मिक शिक्षाओं के अनुसार उसके लिए आहार उपलब्ध किया जाएगा और वह जिस धर्म पर विश्वास रखता है, उस धर्म की पवित्र हस्तियों और किताबों आदि का अनादर नहीं किया जाएगा।

(ब) क़ैदियों की शारीरिक ज़रूरतें जैसे - उचित आहार, स्वच्छ पानी और मौसम के हिसाब से कपड़े और उपचार की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। उनको उचित स्वास्थ्य के लिए योग एवं कसरत की अनुमति होगी, क़ैदियों को ऐसी तंग जगह में रखना सही नहीं जहां ठीक से खड़ा होना या पावं फैला कर लेटना संभव न हो, और रौशनी की उचित व्यवस्था न हो।

(स) क़ैदियों के समाजी अधिकार - जैसे शिक्षा व हुनर सीखने, आम हालात में दूसरे क़ैदियों से मिलने और सगे सम्बन्धियों से सम्पर्क करने के अधिकार प्राप्त होंगे। जहां तक रेडियो और टीवी का सम्बन्ध है तो ये साधारण तथा मनोरंजन वाली चीज़ों का हिस्सा होते हैं अतः इसकी अनुमति देना आवश्यक नहीं, अलबत्ता समाचार पत्र पढने की अनुमति देना सरकार की इच्छा पर है।

(व) मर्दो और औरतों को अलग अलग जेलों में रखा जाए और इस बात की गारंटी दी जाए कि

औरतों की जगह की निगरानी करनेवाली अफ़सर भी औरत ही हो। कैद रहने के दौरान अन्दर की देखभाल का काम भी औरतें ही संभालें और इसी तरह छोटे और बड़े क़ैदियों को भी अलग अलग रखा जाए।

5- क़ैदियों से सच्ची बात उगलवाने के लिए क़ैदियों का नारको टेस्ट करना, उन्हे नंगा करना, इलैक्ट्रिक शाक लगाना, उनपर कुत्ते छोड़ना, उनको बर्फ़ की सिल्लियों पर डालना, उन्हें निरंतर जागने पर विवश करना या तेज़ आवाज सुनाना, ये सारी बातें और काम अवैद्य अनैतिक और ग़ैर इन्सानी हैं, इसी प्रकार ऐसी सज़ाएं जिनसे किसी अंग को कष्ट पहुंचे, या उसके टूटफूट जाने का डर हो या ज़हनी व मानसिक सेहत प्रभावित होने का खतरा हो, तो वे भी अवैद्य हैं।

6- क़ैदियों को ज़ंजीरों में जकड़ना, हथकड़ी पहनाना या बेड़ियां डालना शरई रूप से अवैद्य है, अलबत्ता यदि वह खतरनाक या आदी अपराधी हो, जिसके भाग जाने का या स्वयं को या दूसरों को हानि पहुंचाने का डर हो तो उसे क़ाबू में रखने के लिए कानून की सीमाओं में रहते उचित तरीक़ा अपनाया जा सकता है।

7- अगर हिकमत अर्थात दूरदर्षिता का तक़ाज़ा हो तो अपराधी को इतने दिनों की एकान्त क़ैद की सज़ा दी जा सकती है जिसकी मेडिकल अफ़सर अनुमति दे और यह इतनी लम्बी न हो कि क़ैदी मानसिक रोगी बन जाए।

8- जबरी काम लिया जाना अगर सज़ा का हिस्सा हो तो सज़ा याफ़ता क़ैदी से उसकी यथाशक्ति भारी काम लिया जा सकता है, और इस हालत में वह शरई रूप से मज़दूरी पाने का हकदार न होगा। हाँ यदि सरकार अपने क़ानून के अर्न्तगत मज़दूरी दे तो यह उसके लिए हलाल होगी अन्यथा वह मज़दूरी पाने का हक़दार न होगा।

9- विचाराधीन क़ैदियों को उसूली तौर पर निर्दोष माना जाए ऐसे क़ैदी अपराधी नहीं बल्कि आरोपी होते हैं। उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कदापि न किया जाए अतः उनसे ज़बरदस्ती काम लेना सही नहीं, और अन्य कैदियों के मुक़ाबले में उनके साथ भला व्यवहार आवश्यक है।

10- विचाराधीन क़ैदियों को पेशी से पहले इतने दिनों तक क़ैद में रखना जो उनके ऊपर लगे अपराध की असल सज़ा के बराबर है सही नहीं है, और फ़ैसले या केस की जांच में देरी नहीं होनी चाहिए कि मुकदमे के दौरन क़ैद की अवधि सज़ा की अवधि से लम्बी हो जाए। अगर ऐसा हो तो उसे फ़ौरन रिहा किया जाए।

11- निर्दोष क़ैदी को क़ैद के ज़माने में होने वाली मानसिक यातना का वित्तीय हर्ज़ाना देना आवश्यक है।

12- क़ैदी को मुकदमों के सिलसिले में वकील से सम्पर्क करने, अपने सगे सम्बन्धियों से परामर्श करने और अपनी सफ़ाई पेश करने के सारे अधिकार प्राप्त होंगे।

13- महिला क़ैदियों को अपने साथ दूध पीते बच्चों को जेल में रखने की अनुमति होगी।

14- सेमिनार ने महसूस किया कि देश में क़ैदखानों और क़ैदियों के सम्बन्ध में जो क़ानून और नियम लागू हैं उनमें अधिकांश इस बात का ध्यान रखा गया है जो इस्लामी दृष्टिकोण से ऊपर बयान किया गया है,

लेकिन उनको व्यवहार में बहुत कम लागू किया जाता है, इस लिए यह अधिवेशन मांग करता है कि उल्लिखित सारे अधिकार क़ैदियों को व्यवहारिक रूप से दिए जाएं। अधिवेशन में इस बात को भी व्यक्त किया गया कि सामान्य रूप से किसी ठोस गवाही के बिना क़ानून और सर्वोच्च न्यायाल्य के निर्देशों की अवहेलना करते हुए नागरिकों को गिरफ्तारी किया जाता हैं। विगत कुछ सालों में मुस्लिम नवजवानों की इस तरह गिरफ्तारी की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं, जिनको गिरफ्तार करने के बाद यातनाए दी जाती हैं, टार्चर किया जाता है कई कई दिनों तक अपने रिमांड में रखने के बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी दर्ज करती है, और न्यायालय में पेश करती है।

पुलिस और क़ानून लागू करनेवाले संस्थानों के इस रवैए और सरकार की आंखें मूंदे रखने के नतीजे में देश में संकट और बेचैनी का माहौल पैदा हो रहा है और देश का लोकतांत्रिक ताना-बाना दाग दाग हो रहा है, इसलिए यह अधिवेशन केन्द्रीय और राज्य सरकारों से मांग करता है कि वे पुलिस को क़ानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पाबन्द बनाए, इसका उल्लंघन करनेवाले पदाधिकारियों के विरूध कड़ी कार्यवाही करें और कड़े निर्देश पारित किए जाए ताकि शक्तिशाली और ठोस आधार के बिना किसी को गिरफ्तार न किया जाएँ और यातनाओं और टार्चर का तरीक़ा बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए।

15- अधिवेशन का विचार है कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने आतंकवाद का बहाना बनाकर विभिन्न स्थानों पर यातना गृह बनाए हैं और जिनमें बर्बर और भयानक तरीकों से यातनाएं पहुँचाई जाती हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और नियमों का खुला उल्लंघन और मानवता के विरूद्ध घृणित हरकत है, जिसका नोटिस संयुक्तराष्ट्र और दूसरे वैश्विक संस्थानों और मानवधिकार व नागरिक आज़ादियों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को लेना चाहिए। हम इन सभी से मांग करते हैं कि इन यातना गृहों और इनमें किए जाने वाले ढेरों अत्याचारों के विरूद्ध आवाज़ उठाएँ, विश्व के संगठन उन देशों के विरूद्ध पाबंदियाँ लगाएँ और उनको अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों पर अमल करने के लिए विवश करें।

16- सेमिनार इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करता है कि देश के कुछ क्षेत्रों में बार कौंसिलें और वकील उन लोगो का मुकदमा लेने से इन्कार कर देते हैं जिनके विरूद्ध आतंकवाद का आरोप लगाया जाता है यद्यपि क़ानूनी बचाव हर व्यक्ति का अधिकर है और यह एक सर्वमान्य विश्वव्यापी क़ानून है कि आरोपी को अपराधी का दर्जा नहीं दिया जा सकता न देश का क़ानून इसकी अनुमति देता है और न यह नैतिक व मानवीय तक़ाजों के ही अनुसार है वकील और क़ानूनी संस्थान न्याय स्थापित करने के लिए हैं, उनका ऐसी अन्यायपूर्ण हरकतों पर चलना बड़ा ही दुखदायी है इसलिए सेमिनार वकील बिरादरी और बार कौंसिलों से मांग करता है कि वे ऐसे ग़ैर क़ानूनी रवैए से बचें और सरकार से भी मांग करता है कि वह इसका निवारण करे।

☆☆☆